

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-15/2025

प्रेषक,

8164

/पटना, दिनांक-

28-7-25

आदित्य प्रकाश,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया/ छपरा-01 एवं चकिया।

विषय : मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष- 001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के किराया एवं महसूल इकाई मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किराया पर कार्यरत कार्यालयों के मकान किराया भुगतान हेतु कुल ₹ 5.01564 (पाँच लाख एक हजार पाँच सौ चौसठ) लाख रु0 मात्र की राशि सारणी-1 के अनुसार कार्यालयों के नाम के सामने अंकित राशि के अनुरूप आवंटन प्रदान किया जाता है।

सारणी-1

क्र0 सं0	ग्रा0 का0 वि0 के कार्यालय का नाम	ग्रा0 का0 वि0 के कार्यालय का नाम जिनके लिए राशि आवंटित है	किराया की अवधि जिनके लिए राशि आवंटित है	किराया की स्वीकृत दर	अधियावित राशि (लाख रु0 में)	पत्रांक/दिनांक	(सभी राशि लाख रु0 में)	
							अभ्युक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	स्वकृत्यादेश	व्यय अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र
1	कार्य प्रमंडल, छपरा-01	कार्य प्रमंडल, छपरा-01 का कार्यालय	जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक	3400/- एवं 2800/- प्रतिमाह	0.93000	829/21.07.2025	पू0-261/40	पू0-268/40
1	कार्य प्रमंडल, खगड़िया	कार्य प्रमंडल, खगड़िया का कार्यालय	2025-26	19584/- प्रतिमाह	2.35008	916/21.06.2025	पू0-260/40	पू0-261/40
6	कार्य प्रमंडल, चकिया	कार्य प्रमंडल, चकिया का कार्यालय	2025-26	14463/- प्रतिमाह	1.73556	1236/30.06.2025	पू0-257/40	पू0-258/40
	कुल				5.01564			

2. यह राशि मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के अन्तर्गत 14 01 किराया महसूल एवं कर ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगी। जिसका विपत्र कोड सं0- 37-2515000010009 है।

3. उक्त आवंटन से किराया महसूल एवं कर ईकाई मद में भुगतान नियमानुसार ही किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाया आदि का भुगतान पृथ में न की गयी हो।

4. सारणी में अंकित राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-277/वि० दिनांक 28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-4010 दिनांक-08.04.2025 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया गया है।

7. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों/नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

8. आवंटन प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का संचिका सं०-13/अ०प्र०-01-15/2025 के पृ०-23/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-15/2025

8164

/पटना, दिनांक-

28-7-25

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-15/2025

8164

/पटना, दिनांक-

28-7-25

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-15/2025

8164

/पटना, दिनांक-

28-7-25

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/संयुक्त सचिव, के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-15/2025

8164

/पटना, दिनांक-

28-7-25

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के अपर सचिव